



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032020-218685
CG-DL-E-16032020-218685

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 942]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No. 942]

NEW DELHI, THURSDAY MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1048(अ).—यतः भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई की अधिसूचना सं. का.आ. 2864(अ), तारीख 01 सितंबर, 2007 के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148बी के किमी 94.600 से किमी 126.000 (राजस्थान/हरियाणा सीमा-भिवानी-हांसी-पंजाब सीमा खंड) को हरियाणा राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अब राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.148-बी के 94.600 से किमी 125.920 (राजस्थान/हरियाणा सीमा-भिवानी-हांसी-पंजाब सीमा खंड) तक पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन के उपयोग के लिए सारणी-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 31.32 किमी की निवल सड़क लंबाई के लिए तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों पर 100% दर पर फीस उद्बहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
1	कार/जीप/वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी), हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
3	बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
4	तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
5	भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
6	विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और फीस प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और यह उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

सारणी-3

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. अपनी श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति टोल संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार लदे वाहन के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार प्रयोज्य फीस का भुगतान करने का जिम्मेवार होगा और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सहित कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और परियोजना राजमार्ग की लंबाई के पूरे भाग के आधार पर छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कम से कम एक-एक

समाचार पत्र में अंग्रेजी और देशी भाषा में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 309.66 करोड़ रु. है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है। अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी

[फा.सं. आरडब्ल्यू/सीएच/कार्य(357)/एचआर-2017]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1048(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2864 (E) dated 1st September, 2017 issued under section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 94.600 to Km. 126.000 (Rajasthan/Haryana Border-Bhiwani-Hansi-Punjab Border Section) of the National Highway No. 148B in the State of Haryana to State Government of Haryana;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fees on the mechanical vehicle at 100% of the rates specified in columns (2) of Table-1 for net road length of 31.32 Km on the type of vehicles specified in column (1) of Table-1 for the use of four lane with paved shoulders stretch from km 94.600 to km 125.920 Rajasthan/Haryana Border-Bhiwani-Hansi-Punjab Border Section) of the National Highway No. 148B in the State of Haryana and authorises the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods vehicles or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment(EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for the distance specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in Km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable.
At Design Km. 118.460 (Km 118.600 as per site condition) near village Kitlana in Bhiwani District	31.32	100% of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty-Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys of the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty Four hours the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of Payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternate road is available or use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of said rule.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 309.66 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee livable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/CH/Works (357)/HR-2017]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.